कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक/11399/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 13—08—2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण महामारी बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य के साथ—साथ इस जिले में भी प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस जिले में आज दिनांक तक कुल 457 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। जिनमें से **205** एक्टिव मरीज हैं इनमें से **21** एक्टिव मरीजों की ट्रैवल/कान्टेक्ट हिस्ट्री अज्ञात है। जिले में पिछले तीन दिवस में **114** कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो गया है कि COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के लिए सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 357/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18—07—2020 एवं भारत सरकार तथा छ0ग0 शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा—निर्देश/गाईडलाईन के अनुक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिले के **नगरीय क्षेत्र : रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया, एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।**

अ— महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1—26/2020/17—1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रायगढ़ के नगरीय क्षेत्र : रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया, एवं नगर पंचायत धरमजयगढ सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु साप्ताहिक बंद **दिनांक 16—08—2020 दिन रविवार को उपरोक्त तीनो नगरीय क्षेत्र में पूर्व में निर्धारित समयानुसार दुकान/प्रतिष्ठान खुले रहेंगे** तथा **दिनांक 16.08.2020 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 23.08.2020 रात्रि 11.59** बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है :—

ब— यह भी आदेशित किया जाता है कि :—

(1) नगरीय क्षेत्र : रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया, एवं नगर पंचायत धरमजयगढ क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को आमजन हेतु उक्त अवधि तक के लिए बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी न्यूनतम क्षमता के साथ शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(2) जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो—रिक्शा, बसें, ई—रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छुट रहेगी।

(3) आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतद्द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) के परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।

(4) उक्त क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट—बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी।

Scanned by CamScanner

(5) नगरीय क्षेत्र : रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया, एवं नगर पंचायत धरमजयगढ क्षेत्र के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले **फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले इकाईयों** को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी :-

क– यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी।

ख– आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी।

ग– संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

घ– इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

(6) **ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।**

(7) सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

(8) विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे तथा ऑनलाईन निगरानी हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी **Home Quarantine Monitor App** डाउनलोड कर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(9) सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगे। **किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है)** को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

स– **फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :-**

1. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, राजस्व, जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, कृषि, खाद्य, सहकारिता एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी। **ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे एवं कार्यालय के** पदाधिकारी तथा कर्मी न्यूनतम क्षमता के साथ शासकीय कार्यालय का निष्पादन करेंगे। किन्तु विधानसभा सत्र को देखते हुए शेष शासकीय कार्यालय के सभी पदाधिकारी तथा कर्मी विधानसभा के प्रश्नो के उत्तर तैयार करने हेतु उपस्थित रहेंगे।
2. पंजीयन कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
3. भारत सरकार क अधीनस्थ केन्द्रीय कार्योलय
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी

Scanned by CamScanner

5. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
6. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
7. खाद्य आपूर्ति से संबधित परिवहन सेवायें
8. **ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा–जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से 12:00 बजे तक होगी।**
9. स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, ब्रेड, चिकन, मटल, मछली, एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी **गतिविधियों की अनुमति प्रातः 07:00 बजे प्रातः 11:00 बजे तक होगी।**
10. मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त– प्रातः 07:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक रहेगी।
11. राशन सामग्री/किराना दुकानों का संचालन सशर्त– प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी।
12. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
13. घर पर जाकर दुध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 07:00 बजे से 10:00 बजे एवं सायं 05.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
14. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
15. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।
16. **जेल**
17. अग्निशमन सेवायें।
18. ए.टी.एम.
19. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी.आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें **अपरान्ह 12.00 बजे** तक संचालित की जा सकेंगी।
20. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां।
21. पशु आहार, पक्षी आहार (Bird Feed) एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं व सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं (Veterinary Services) एवं पेट्स शॉप एक्यूरियम (Pet Shops & Aquarium) कृषि मशीनरी विक्रय/स्पेयर पार्टस तथा कृषि उत्पाद कीटनाशक, उर्वरक, बीज से संबंधित दुकानें–ये दुकानें अपरान्ह 12.00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
22. पोस्टल सेवायें
23. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कॉमर्स आपूर्ति।
24. होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि पूर्व से रूके हुये व्यक्तियों/पर्यटकों/मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु संचालित हो। किन्तु इनमें नये व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। **टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।**
25. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
26. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

Scanned by CamScanner

27. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं।
28. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
29. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

द– **नगर पालिक निगम रायगढ़ के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–**

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
2. सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय से अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

ई– निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका– **स. में** वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड–19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ– (1) उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ओ– महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश दिनांक 16.08.2020 रात्रिं 12.00 बजे से दिनांक 23.08.2020 की रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/11933–A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक13.08.2020

प्रतिलिपिः–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
2– सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3– सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
4– सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
5– आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
6– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

———की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
9– आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by CamScanner

10— सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11— सर्व तहसीलदार, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12— सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़
13— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14— उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner